(नियम 26)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अजमेर

रविंद्र कुमार बनाम रमेश चन्द

किस्म मुकदमा 53, 88, 89, 188 नं. 85 साल 17-12-19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो दरा हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/19	वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस प्रतिवादीगण को जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/12/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अजमेर	
27/12/19	पक्षकार उपस्थित। मौके की जाँच की गई। उ.प. 1, 3 के कब्जे में नाजिर जमीन उ.प. 2 की जमीन आधी जमीन यानी उ.प. 2 के कब्जे में चालू है। 10 मीटर के 6 फुट के मौके पर उ.प. 1, 3 की जमीन के मौके पर कब्जा पाया गया। पक्षकार दिनांक 13/1/20 को पेश करें। उपखण्ड अधिकारी अजमेर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2020.01.16 11:32:45 IST
Reason: SelfAttested